मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र. 657-346-एक (1)-1

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 1980

प्रति,

शासन के समस्त सचिव (नाम से),
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच/अपील प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—लोक सेवा आयोग से परामर्श.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासन द्वारा आयोग की राय हेतु भेजे जाने वाले विभागीय जांच एवं अपील प्रकरणों में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओं सूचना-पत्र का जवाब/अपील में उठाए गए मुद्दों पर शासन की पैरावाइज टीप बहुधा नहीं भेजी जाती है, जो कि इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7954-7121-एक (1), दिनांक 25 नवम्बर 1975 के अनुसार आवश्यक है और यदि किन्हीं प्रकरणों में टिप्पणी दी भी जाती है तो उस पर शासन की ओर से उक्त टिप्पणी प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहते हैं. इस प्रकार की टिप्पणी की संदिग्धता बनी रहती है. इससे आयोग के प्रकरणों के निराकरण करने में भी असुविधा होती है और प्रकरण इसके अभाव में अधिक समय तक लंबित रहते हैं.

2. शासन चाहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7954-7121-एक (1), दिनांक 25 नवम्बर 1975 में बताए अनुसार अपचारी अधिकारी द्वारा कारण बताओ सचूना-पत्र के जवाब/अपील में उठाए गए मुद्दों पर पैरावाइज टीप निश्चित रूप से आयोग को भेजी जाए और ऐसी टीप पर प्रेषित करने वाले अधिकारी (जो अवर सचिव से नीचे के स्तर का न हो) के हस्ताक्षर न केवल अंतिम पृष्ठ पर अपितु प्रत्येक पृष्ठ पर होना चाहिए, जिससे टिप्पणी का विश्वसनीयता असंदिग्ध रहे.

हस्ता./-
(जे. एल. अजमानी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.